रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED NO. D. (DL)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 1985/फाल्गुन 20, 1906
No. 117] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 1985/PHALGUNA 20, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

निर्माण और आवास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1985

का. आ 186 (अ) —केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12 मार्च, 1985 को उस तारीख के रूप में, जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध [धारा 4, धारा 5 का खण्ड (ग) और धारा 6, 10 और 11 को छोड कर] प्रवृत्त होंगे, नियत करती है ।

[सं. के-11011/2/84-डी डी 2-बी.]

आर. एन. प्रदीप, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 1985

S.O. 186(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Delhi Development (Amendment) Act, 1984 (Act 38 of 1984), the Central Government hereby appoints the twelfth day of March, 1985, as the date on which the provisions [except section 4, clause (c) of section 5 and sections 6, 10 and 11] of the said Act shall come into force.

[No. K-11011|2|84-DD II-B]

R. L. PARDEEP, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985